कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म.प्र.)

//शपथ आयुक्त नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति//

क्रमांक 2683(1)/दो–12–7/74 रीवा, दिनांक 05/07/2023

जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के मुख्यालय रीवा एवं तहसील न्यायालय मऊगंज, त्योंथर, सिरमौर, हनुमना एवं मनगंवा में शपथ आयुक्त के रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति किये जाने हेतु विज्ञापन।

शपथ आयुक्त के रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्रमांक.	मुख्यालय/तहसील न्यायालय	रिक्त पदों की संख्या
1	रीवा	09
2	मऊगंज	02
3	त्योंथर	02
4	सिरमौर	02
5	हनुमना	01 (रिक्त होने की प्रत्यासा में)
6	मनगंवा	01
	योग–	**17**

नियम व शर्तें:–

1. शपथ आयुक्त की नियुक्ति, शपथ आयुक्त नियम 1976 एवं शपथ आयुक्त (संशोधन) नियम 1996 के अंतर्गत किये जायेंगे।
2. शपथ आयुक्त नियम 1996 के नियम 3(क) का उपनियम (2)(तीन) के तहत् ऐसे अधिवक्ता ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, जो जिला मुख्यालय रीवा एवं तहसील न्यायालय मऊगंज, त्योंथर, सिरमौर, हनुमना एवं मनगंवा पर अभिभाषक संघ के सदस्य हो।
3. शपथ आयुक्त पदों पर नवीन नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्तागण जो कम–से–कम 05 वर्ष के लिए विधि व्यवसायी, मध्यप्रदेश राज्य के विधि परिषद् (बार काउंसिल) में रजिस्ट्रीकृत हो और उस स्थान पर जहां वह नियुक्ति की वांछा रखता हो, विधि व्यवसाय में कार्यरत होना चाहिए।
4. शपथ आयुक्त की नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्तागण अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के माध्यम से निर्धारित "प्रारूप एक" पर आवेदन पत्र तीन–तीन प्रतियों में शैक्षणिक दस्तावेज, स्टेट बार कौंसिल का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित प्रस्तुत करें।
5. आवेदन पत्र में अधिवक्ता अपनी जन्मतिथि तथा जाति वर्ग (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं महिला) अन्य शैक्षणिक योग्यता व 5 वर्ष का विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र तथा क्या पूर्व में शपथ आयुक्त के पद पर कार्य कर चुके हैं अथवा किसी कारणवश हटाये गये हैं? क्या वे नोटरी अथवा शासकीय अधिवक्ता के पद पर तथा शासन द्वारा प्राप्त होने वाले किसी अन्य आय के पद पर कार्यरत हैं अथवा नहीं हैं? के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र सहित जानकारी प्रस्तुत करें,
6. आवेदक अधिवक्तागण को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि शपथ आयुक्त पद पर पदस्थापना हो जाती है तो वे अन्य धारित पद से त्याग पत्र दे देंगे।
7. आवेदक अधिवक्ता को आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

8. जिन इच्छुक उम्मीदवार का कार्य व्यवहार, आचरण, वकालत व्यवसाय अच्छा पाया जावेगा उनको तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग के पात्र उम्मीदवार का चयन नियमानुसार किया जावेगा।

9. आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि में विधिवत् आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में शपथ आयुक्त की पैनल में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया जावेगा तथा आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

10. नियुक्ति करने एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर को होगा।

आज दिनांक 4.7.23 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

संलग्न–प्रारूप "एक"

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म.प्र.)

{ प्रारूप–एक }

शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन

(शपथ आयुक्त नियम, 1976 के नियम 3 तथा 4 के अधीन)

1. आवेदक का नाम	:–	....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम	:–	....
3. पूरा पता	:–	....
4. व्यवसाय का स्थान जो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में प्रविष्ट हो।	:–	....
5. वर्ष जब से विधि व्यवसाय कर रहे हैं	:–	....
6. क्या पूर्व में भी शपथ आयुक्त नियुक्त किए गए थे यदि हां, तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति का कारण	:–	....
7. क्या पूर्व में नोटरी नियुक्त किए गए थे यदि हां, तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति का कारण	:–	....
8. तथ्य जिन पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाए	:–	....

तारीख.........................

स्थान..........................

आवेदक के हस्ताक्षर

::–घोषणा–::

मैं...सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त विशिष्टियाँ मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं और उक्त तथ्यों से संबंधित कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख.......................

स्थान..........................

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

1. आवेदन प्रस्तुत करने या प्राप्त करने की तारीख	:–	....
2. जिला न्यायाधीश की टिप्पणियाँ	:–	....
3. कोई अन्य विशेष तथ्य जो जिला न्यायाधीश की जानकारी में हो, जिन पर ध्यान अपेक्षित हो।	:–	....

तारीख......................

स्थान........................

जिला न्यायाधीश के हस्ताक्षर
कार्यालयीन मुद्रा के साथ